न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री बिजेन्द्रसिंह आर0ए0एस0

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	दायरा तिथि	निर्णय तिथि
21 / 2022	प्रा0पत्र आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 CPC	21.03.2022	27.05.2025

बाबु खां पुत्र स्व. अस्त अली खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र स्व. घड़सीराम जाति जाट निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राकेश पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू(राज.)
3. मैनेजर(इन्चार्ज) एयरटेल सर्विसेज कम्पनी, के—21, सनी हाउस मालवी नगर, सी—स्कीम, जयपुर राजस्थान
4. याकुब खां पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू राज.
5. मुश्ताक खां पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू राज.
6. इब्राहित खां पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू राज.
7. गफार खां पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू राज.
8. बसरत खां पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू राज.
9. नसरू खां पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू राज.
10. स्तार खां पुत्र फुले खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू राज.
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
12. इलियास खां पुत्र स्व. अस्तअली खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू राज.
13. हारून खां स्व. अस्तअली खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू राज.
14. फरजाना पुत्री स्व. अस्तअली खां जाति कायमखानी निवासी कड़वासर तहसील व जिला चूरू राज.

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी व धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः—
1. अधिवक्ता श्री राहुल सोनी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री [illegible] अप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:33 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थी(वादी) की ओर से दावा [illegible] अपास्त करने हेतु प्रा[illegible]त्र नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत है:—

1. यह कि प्रार्थी बाबु खां जो कि करीबन 1 वर्ष 06 माह से टीबी की बीमारी से ग्रसित चला आ रहा है। इस कारण खून की कमी होने के कारण गम्भीर स्थिति में अगस्त 2021 से जैर

ईलाज वर्तमान में चल रहा है। प्रार्थी अपने खेत में बनी ढाणी में रिहायश करता है, जो खेत की ढाणी ग्राम कड़वासर की आबादी से करीब डेढ किलोमीटर की दूरी पर है, प्रार्थी चलने फिरने में टीबी बीमारी के कारण असमर्थ चला आ रहा है।

2. यह कि इस न्यायालय में चला आ रहा दावा संख्या 199/2016 अनुवानी अख्तर बानो आदि बनाम भगवानाराम आदि की पत्रावली निगरानी में राजस्व मण्डल अजमेर गई हुई थी, इस दावे में प्रार्थी की ओर से वकल भीमसिंह शेखावत चूरू थे, जिनके देहांत के संबंध में प्रार्थी को दिनांक 07.03.2022 तक कोई पता नहीं चला, दिनांक 074.03.2022 को प्रार्थी चूरू आया, तब पता चला कि श्री भीमसिंह शेखावत एडवोकेट का देहांत कोरोना काल के लोक डाउन में हो गया, इसके पश्चात् प्रार्थी वकील श्री सुरेन्द्र राहड़ से मिला ओर दावे की पत्रावली अजमेर से आयी या नहीं इस बाबत श्रीमानजी के न्यायालय में पता करने के लिए अधिकृत किया और पता चला कि यह दावा दिनांक 21.02.2022 को अदम हाजरी वादी एवं अबेट होकर दावा खारिज कर दिया गया है, जिस पर आदेश दिनांक 21.02.2022 आदि फर्द अहकाम नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र वकील सुरेन्द्र राहड़ से प्रस्तुत करवाया गया, जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां दिनांक 09.03.2022 को प्राप्त हुई, जिनको पढने पढाने से स्पष्ट मालूमात हुआ है कि दावा खारिज किया गया है, जबकि प्रार्थी को कोई विधिवत स्वयं पर कोई तामीन हुई हे, ना ही कोई रजिस्ट्र डाक प्राप्त हुई है, ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 21.02.2022 कानूनन अपास्त योग्य है, दावा पुनः वाजवे नम्बर पर लिया जाकर रेस्टोर किया जावे तथा प्राथ्री को न्यायहित में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कया जावे ताकि प्रार्थी के साथ न्याय हो सके व प्राथ्री अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

3. यह कि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने दावा अबेट बाबत कोरोना कॉल में गलत रूप से प्रार्थना पत्र पेश किये गये है, वादीनी अख्तर बानो का देहांत एवं प्रतिवादी संख्या 5 मुमताज अली की मृत्यु के संबंध में जो प्रार्थना पत्र पेश हुये है, उन प्रार्थना पत्र के आधार से कानुनी रूप से मूल दावा कतई रूप से अबेटमेन्ट की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि इस दावा में वादीनी संख्या 01 के वारिसान संख्या 02 प्रार्थी एवं गौण प्रतिनिधि संख्या 14 से 16 क्रमशः इलियास खां, हारून खां, फरजाना चौहान पहले से मौजूद हैं, जब किसी मृतक के वारिसान पहले से दावा में मौजूद हो, तो वहां कानूनन दावा अबेट नहीं किया जा सकता है। मुमताज अली के वकील प्रतिवादी संख्या 05 मुमताज अली के वकील के रूप में मुमताज अली के उत्तराधिकारी के रूप में उनके वकील ने कोर्ट के समक्ष मुमताज अली के वारिसान के नाम पते आदि लिखित में पेश नहीं किये गये, जबकि मुमताज के वकील को आज्ञापक के रूप में आदेश 22 नियम 10 (के) सी.पी.सी. में पेश किया जाना था, जो नहीं किया गया , ऐसी स्थिति में आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. कानून के अनुपालन के अभाव में दावा अबेट नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में दावा एबेट का आदेश अवैध और प्रभावशून्य होने के कारण अबेटमेंट अपास्त होना उचित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार्य है।

4. यह जब किसी दावे में काफी वादीगण व प्रतिगण मौजूद हो तो वहां एक वादी व एक वादी की मृत्यु होने पर संपूर्ण दावा कानून अबेट मानकर खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दावे में हर पक्षकार का अलग हक व अधिकार होता है, दिनांक 21.02.2022 के आदेश में ऐसी स्थिति नहीं है, जो आदेश दिया ग[illegible]स्त योग्य है, ऐसी स्थिति में दावा रिस्टोर किया जावे तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:33 IST
Reason: SelfAttested

5. यहकी प्रार्थी (जबकि [illegible] रजिस्ट्री डाक स्वयं को प्राप्त नहीं हुई है, डाक विभाग के पो[illegible] से फर्जी रूप से रजिस्ट्री डीलीवर होना बताया गया है, जबकि प्रार्थी को रजिस्ट्री प्रा[illegible] नहीं हुई है, प्रवितादीगण जो कड़वासर के निवासी है, जिन्होने स्थानी पोस्टमैन से मिलीभगत कर फर्जी डिलीवरी करवाई गई है, जो कानूनन मानी जाने योग्य नहीं है, न्यायालय के फर्द अहकाम दिनांक 09.02.2022 को नोटिस जरिये रजिस्ट्री डाक के आदेश किये गये है, जो रजिस्ट्री दिनांक 17.02.2022 को लगायो जाने

बतलाई गई है, तथा रजिस्ट्री डाक की डिलीवरी दिनांक 18.02.2022 को प्राप्त होना फर्द अहकाम में बतलाया गया है, जबकि दिनांक 18.02.2022 को कोई रजिस्ट्री डाक प्रार्थी को नहीं मिली है। वादी संस्था जो कडवासर के निवासी है, जिन्होने स्थानी पोस्टमैन से सत्यापित कर फर्जी स्वीकृति नहीं ली है, जो लैकन मैन जाने योग्य नहीं है, कोर्ट के फर्दाद अहमद दिनांक 09.02.2022 को रजिस्ट्री रजिस्ट्री मेल दिनांक 09.02.2022 के आदेश प्राप्त हो गए हैं, जो रजिस्ट्री डाक दिनांक 17.02.2022 को लगाये जाने बतलाई है, तथा रजिस्ट्री डाक की डिलीवरी दिनांक 18.02.2025 को प्राप्त होना फर्द अहकाम में बतलाया गया है, जबकि दिनांक 18.02.2022 को कोई रजिस्ट्री डाक प्रार्थी को नहीं मिली, उक्त डिलीवरी जो बतलाई गई है, वह साजसी है तथा रजिस्ट्री डिलीवरी रिपोर्ट की फोटो स्टेटस प्रति प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की ई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने पोस्टमैन से मिलकर फर्जी डिलीवरी करवाई गई है। ऐसी स्थिति में कानून सम्मत रजिस्ट्री डाक से तामील नहीं मानी जा सकती, रजिस्ट्री डाक की पावती रसीद पेश नहीं की गई है। इसलिये आदेश दिनांक 21.02.2022 अपास्त योग्य है।

6. यह कि कोरोना काल में तथा प्रशासन गांवो के संग अभयान रहा तथा दिनांक 09.02.2022 को न्यायालय में कार्य शुरू हुये है, प्रार्थी टी.बी. की बीमारी से ग्रसित होने के कारण इस दावे की तारीख पेशी का ज्ञान नहीं रहा, प्राथी अपने वकील भीमसिंह पर आधारित रहा, परन्तु भीमसिंह की कोरोना में ही मृत्यु होने से मृत्यु का ज्ञान प्रार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 07.03.2022 को हुआ तथा प्रार्थी पर रजिस्ट्री डाक की तामील जो दिनांक 18.02.2022 को नहीं हुई है। प्रतिवादीगण ने फर्जी रूप से पोस्टमैन से मिलीभगत कर फर्जी डिलीवरी करवाई गई है, जिससे प्रार्थी कतई रूप से पाबंद नहीं है। प्रार्थी को सर्वप्रथम दावा खारिज बाबत ज्ञान दिनांक 07.03.2022 को हुआ है, प्रार्थी टी.बी. के भंयकर रोग से ग्रसित है तथा ईलाज चल रहा है, ऐसी स्थिति में इकतरफा तौर पर वादी की अनुपस्थिति फर्जी तामील के आधार पर दावा खारिज दिनांक 21.02.2022 को किया गया है, वह दावा न्यायहित में रेस्टोर किया जावे तथा आदेश दिनांक 21.02.2022 को अपास्त फरमाया जावे ताकि वादी को न्याय मिल सके, तथा वादगत खेत खसरा नम्बर 281 तादादी 26 बीघा 05 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 275 तादादी 11 बिश्वा वाके रोही कड़वासर में निहित 1/3 हिस्सा संबंध में कब्जा काश्त व वसीयत के आधार पर खातेदारी हासिल कर सकें। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

7. यहकि यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद अवधि 30 व्योम में मय शपथ पत्र प्रस्तुत है, एवं उचित न्याय शुल्क तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से हर प्रकार से सुनवाई योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर एकतरफा आदेश दिनांक 21.02.2022 को अपास्त फरमाया जाकर दावा संख्या 199/2016 (38/2008) अख्तर बानो आदि बनाम भगवानाराम आदि पुनः वाजवा नम्बर पर लिया जाकर रिस्टोर किया जाकर सुनवाई करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1, से 10 की ओर से अधिवक्ता सुरेन्द्र डुडी ने वकालत नामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 12 से 14 कर ओर से अधिवक्ता पंकज प्रजापत ने वकालतनामा पेश किया तथा अंकित किया कि वे जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। अप्रार्थी संख्या 1,2,4,5,7 से 10 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है।

1. यह कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 01 में वर्णित ये कथन कि प्रार्थी बाबुखां जो कि करीबन 1 साल 6 माह से टी.बी. की बीमारी से [illegible] आ रहा है अगस्त 2021 से जेर ईलाज वर्तमान में चला आ रहा है– जानकारी [illegible] स्वीकार नहीं है, अस्वीकार किये जाते है। वादी अपने द्वारा किये [illegible] अख्तर बाना आदि बनाम भगवानाराम आदि की पैरवी के [illegible] पेशी पर शुरूवात से ही आता रहा है, प्रार्थी रात के समय मे ही अपने खेत में बनी ढाणी [illegible] रहता है दिन में गांव कड़वासर में ही रहता है चलने फिरने में सदैव से समर्थ रहा है विशेष कर अपने उपर वर्णित मुकदमा की पैरवी लगातार करता आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:33 IST
Reason: SelfAttested

Ali

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित यह कथन कि इस न्यायालय में चल रहे दावा सं. 199/2016 अनवानी अख्तर बानो आदि बनाम भगवानाराम वगैरा की पत्रावी निगरानी मे माननीय राजस्व मंडल अजमेर गई हुई थी स्वीकार है, इस मद में किए गये कथन कि प्रार्थी को अपने वकील की मृत्यु बाबत दिनांक 07.03.2022 तक पता नहीं होने, श्री सुरेन्द्र राहड़ वकील से पत्रावली बाबत पता करवाने, दिनांक 21.02.2022 के आदेश के फर्द अहकाम की नकल लेने प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 09.03.2022 को प्राप्त होने– जानकारी के अभाव मे स्वीकार नहीं है अस्वीकार किये जाते है इस मद के शेष कथन गलत एवं झुठे लिखे हुए होने के कारण स्वीकार नहीं है, अस्वीकार किये जाते है। माननीय न्यायालय की पत्रावली दिनांक 15.07.2021 को निगरानी के निर्णय के बाद माननीय न्यायालय में आ चुकी थी वादी प्राथ्री को अपने दावा की पत्रावली बाबत शुरू से जानकारी रही है माननी राजस्व मंडल अजमेर में वादी प्रार्थी स्वयं ने निगरानी पेश की थी निगरानी में वादी प्रार्थी के वकील हाजिर रहे है बहस की है निगरानी खारिज हुई है तथा दावा की पत्रावली माननीय न्यायालय को लोटाई है वादी प्रार्थी के वकील की जानकरी कानून मे पक्षकार की जानकारी मानी जाती है। दावा का एक मात्र प्रार्थी के वकील की जानकारी कानूनन में पक्षकार की जानकारी मानी जाती है। दावा का एक मात्र प्रार्थी वादी जीवित रहने से माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी वादी को उसके दावा बाबत रजिस्टर्ड डाक से सूचना भिजवाई गई है जो वादी प्रार्थी को डिलीवर्ड हुई है वादी प्राथ्री को दावा दायरी की दिनांक से हर कार्यवाही की जानकारी रही है प्राथ्री वादी पर तामीन के जो विधिक प्रावधान है उनके अनुसार तामील हुई है ऐसी सूरत में इस मद में अंकित झुठे व मगढन्त आधारो पर दावा वादी प्रार्थी किसी भी प्रकार से रेस्टोर किये जाने योग्य नहीं हैं प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 03 गलत, झुठी एवं मनगढन्त लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने कोरोना काल गुजरने के कई दिनो बाद प्रार्थना पत्र अबेट बाबत पेश किये गये है प्रतिवादीगण की ओर से वादीनी सं. 01 की व उसके वकील की मृत्यु की सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.08.2021 को पेश की है मगर वादीकगण की ओर से उनके विधिक वारिसान को दावा में पक्षकार बनाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है ऐसी सूरत मे दावा अबेट हो चुका है प्रार्थी सं. 2 के नाम से माननीय न्यायालय के द्वारा नोटिस भिजवाये जाने व नोटिस की विधिवत मातील हो जाने के बाद भी प्रार्थी वादी संख्या 02 उपस्थित नहीं आया न ही वादी प्रार्थी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुए कानूनन गौण प्रतिवादीगण पक्षकार वादी के वारिसान होते हुए भी उन्हे दावा में बतौर वादीगण संयोजित नहीं किया जा सकता है तथा वादी के विधिक वारिसान बतौर वादी नही बनाए जाने पर दावा कानूनन अबेट ही होता है तथा प्रतिवादी की मृत्यु होने पर उसके वारिन को रिकॉर्ड पर नहीं लाने से भी दावा कानूनन अबेट हो जाता है वादी की अनुपस्थिति मे व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में दावा कानूनन अदम हाजरी व अदम पैरसी में खारिज हो जाता है यही विधिक प्रावधान है। आदेश 22 नियम 10 (क) सी.पीसी. मे सिर्फ ओर सिर्फ यही प्रावधान है कि वो मृतक होने की सूचना न्यायालय को देवे ऐसा कोई आज्ञापक प्रावधान नहीं है कि वो मृतक प्रतिवादी के वारिसान के नाम व पते न्यायालय के समक्ष पेश करें ऐसी स्थिति में वादी प्राथ्री न्यायाल द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचना भिजवाने के बाद सूचना प्राप्त होने के बाद वोह स्वयं निश्चित तारीख पेशी पर न आने से उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं आने से न्यायालय के समक्ष वादिनी सं. 01 व प्रतिवादी सं. 05 की मृत्यु की सूचना पेश करने के बावजूद भी व मृतको के वारिसान को दावा के रिकॉर्ड पर नहीं लेने से दावा अबेटमेन्ट किसी भी प्रकार से निरस्त होने योग्य नहीं है प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:33 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या [illegible] एवं झूठ लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार [illegible] दावा के वादीनी सं. 01 अख्तरबानो, वादीनी सं. 03 [illegible] ाहिदा की मृत्यु हो गई प्रतिवादी सं. 05 मुतताज अली की मृत्यु हो गई उनका कोई व[illegible] दावा के रिकॉर्ड पर नहीं आया एक मात्र वादी प्राथ्री भी दावा की कार्यवाही में अनुपस्थित हो गया न ही उनका वकील हाजिर हुआ इस सब बातो की सूचना वकील प्रतिवादीगण के द्वारा माननीय न्यायाल के दे दी गई माननीय न्यायालय के द्वारा वादी प्रार्थी को दावा बाबत नोटिस रजिस्टर्ड डाके से भेजा जो डिलिवर्ड हो

गया– इन सब परिस्थितियों में माननीय न्यायालय के समक्ष जो विकल्प बचा वो ही माननीय न्यायालय द्वारा अपनाते हुए दावा वादीगण अबेटमेन्ट एवं अदम हाजरी, अदम पैरसी में खारिज किये जाने का जो आदेश जेर बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2022 को पारित किया गया है वो विधि सम्मत है अपास्त होने योग्य नहीं है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 05 गलत एवं झुठ लिखी हुई होने से स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है। वादी प्रार्थी के नाम से रजिस्टर्ड डाक माननीय न्यायालय द्वारा भेजी गई है पोस्ट ओफिस सरकारी एजेन्सी है जो किसी से मिली भगत कर फर्जी डिलीवरी नहीं करता है। रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने के आदेश व डाक डिलीवरी के बीच कई सटेज आती है जिनको पूरा करना पड़ता है प्रतिवादी के निवेदन पर न्यायहित में माननीय वादी प्रार्थी को सूचना देना आवश्यक समझ कर नोटिस रजिस्टर्ड डाक से प्रतिवादीगण के खर्चे पर भिजवाये है इस लिए रजिस्टर्ड डाक की रसीद, नोटिस की प्रति डिलीवरी रिपोर्ट प्रतिवादीगण के द्वारा पेश की गई है प्रतिवादीगण के द्वारा की गई उक्त कार्यवाही फर्जी नही हो जाती है रजिस्ट्री डाक की पावती रसीद (डिलीवरी रिपोर्ट) माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की गई है इनत माम परिस्थितियों में पारित आदेश दिनांक 21.02.2022 किसी भी प्रकार से अपास्त होने योग्य नहीं है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 06 गलत एवं झुठ लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है, अस्वीकार की जाती है '' कोरोना काल '' वर्ष 2021 के प्रारम्भ में ही समाप्त हो चुका था तथा प्रशासन गांवो के संग अभियान भी वर्ष 2021 समाप्त हो चुका था न्यायालयों में कार्यवाही वर्ष 2021 में ही शुरू हो चुकी थी प्रार्थी वादी ने न्यायालय मे कार्य शुरू होने की तिथि झुठी व मनगढन्त लिखी है प्रार्थी चाहे किसी भी बिमारी से ग्रसित रहा है अपने मुकदमा की पैरवी के लिए आता रहा है प्राथ्री वादी को अपने वकील की बाबत व अपने मुकदमा की बाबत पूरी जानकारी रही है रजिस्ट्री डाक की तामील प्रार्थी हुई थी नोटिस की जानकारी वादी प्रार्थी को, उसके परिवारजनो को सभी को रही है-- वादी प्रार्थी बावजूद तामील के उपस्थित नहीं हुआ है प्रार्थी वादी की अनुपस्थिति उसकी स्वयं की लापरवाही व गलती हुई है दावा वादी का था वादी प्रार्थी स्वयं को सजग जागरूक होना चाहिए था विधिक प्रावधानो की अनदेखी कर वादी सो रहा था, ऐसे वादी प्रार्थी का दावा किसी भी प्रकार से रेस्टोर किये जाने योग्य नहीं है न ही आदेश दिनांक 21.02.2022 अपास्त यि जाने योग्य है वादी प्रार्थी वा वादगत खेत ख. नं. 281 तादादी 26 बीघा 05 बिश्वा, ख. नं. 275 तादादी 11 बिश्वा रोही मौज कड़वासर तहसील चूरू के 1/3 हिस्सा पर कभी भी कोई कबज काश्त नही रहा – इस बाबत नबाई गई वसियत झुठी व फर्जी है जिसके आधार पर किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है इनत माम परिस्थितियों में प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र हर प्रकार से खारिज किये जाने योग्य है।

7. यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 07 गलत एवं झुठ लिखी हुई होने के कारण से स्वीकार नहीं है अस्वीकार की जाती है दावा वादीगण अबेटमेन्ट एवं अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज कर डिक्री जारी की गई है जिसको वादी प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र जरिए कानूनन निरस्त नहीं किया जा सकता है इस प्रकार का पेश प्रार्थना पत्र न तो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है न ही श्रवणाधिकर का है तथा किसी भी प्रकार से सुनवाई किये जाने योग्य नहीं है प्रार्थना पत्र प्रार्थी वादी खारिज किये जाने योग्य है खरिज फरमाया जावे।

8. यह कि आदेश जरे बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2022 प्रतिवादीगण के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 12.08.2021 व 12.01.2022 स्वीकार किए जा कर दावा वादीगण अबेटमेन्ट एवं अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया है तथा दावा खारिज पर डिक्री जारी की गई जिसको वादी प्रार्थी द्वारा पेश प्राथना प[illegible] 09 नियम 09 व आदेश 22 नियम 09 सी. पी.सी. के तहत कानूनन नि[illegible] मे भी प्राथ्री वादी द्वारा पेश प्रार्थना निरस्त फरमाया जावे।

9. यह कि कानूनन कि[illegible] डिक्री को या तो आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के जरिए या अपीलीय [illegible]यालय में अपील पेश करके कानूनी आधारो पर निरस्त करवाया जा सकता है किसी अन्य प्रार्थना पत्र पेश कर के ऐसी डिक्री को निरस्त नहीं करवाया जा सकता है ऐसी सूरत में भी प्रार्थी वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:33 IST
Reason: SelfAttested

10. यह कि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिवादी सं. 05 की मृत्यु होने की सूचना मुताबिक आदेश 22 नियम 10(क) सी.पी.सी. की पालना करते हुए माननीय न्यायालय को दी थी इस प्रकार की सिर्फ सूचना माननीय न्यायालय को देनने का ही आज्ञापक प्रावधान है जिसकी पालना प्रतिवादीगण ने की है। मृतक प्रतिवादी प्रावधान है जिसकी पानला प्रतिवादीगण ने की है। मृतक प्रतिवादी के वारिसान के नाम व पते पेश करने को कोई प्रावधान आदेश 22 नियम 10(क) सी.पी.सी. में नहीं है इस प्रकार से प्रतिवादी सं. 05 की मृत्यु की सूचना माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के बावजूद भी पक्षकार न बनाने से दावा वादी अबेट किया गया है इन परिस्थितियों मे भी बाकी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

11. यह कि वादी प्राथ्री का अपने प्रार्थना पत्र में यह कहना कि वादीनी संख्या 01 अख्तरबानो के वारिसान गौण प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 16 रिकॉर्ड पर थे इसलिए दावा वादी अबेट नहीं किया जा सकता। वादी प्रार्थी का यह कथन कतई सही नहीं है प्रतिवादी चाहे गौण प्रतिवादी हो या मुख्य प्रतिवादी हो वाद मे वादी के स्थान पर संशोधित नहीं किये जा सकते है ऐसी सूरत मे भी इस आधार पर पेश प्रार्थना पत्र वादी प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

12. यह कि वादी प्रार्थी द्वारा पेश इस प्रार्थना पत्र में अब भी मृतक प्रतिवादी मुमताज खां के जायज वारिसान को पक्षकार प्रार्थना पत्र में नहीं बनाया गया है तथा न ही दावा मे पक्षकार बतौर प्रतिवादीगण बनया गया था जो इस प्रार्थना पत्र में एक अहम कानूनी नुक्स है ऐसी सूरत में भी प्रार्थी वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है वादी प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 आदेश 22 रिनयम 09 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रस्तुत किये जाने पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस में अधिकक्ता उभय पक्षन ने प्रार्थन पत्र तथा जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों का दोहराव किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से अपनी बहस के समर्थन में 2010(3) Civil court cases 195 (M.P.) MADHYA PRADESH HIGH COURT Jorawar Singh Vs Prakash Chandra & Anr. Miscellaneous Appeal No. 1778 of 2003, D/27.08.2009 का दृष्टान्त पेश किया। पत्रावली के अवलोकन से पत्रावली पर उपलब्ध डिलीवरी रिपोर्ट के अनुसार बाबूखां का सम्मन दिनांक 18.02.2025 को डिलीवर हो चुका है व सम्मन दिनांक 10.02.2022 को न्यायालय द्वारा जारी किया गया है।

प्रार्थना–पत्र जवाब प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस पर मनन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूंचा है कि प्रार्थी बाबू खां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. तथा धारा 151 सी.पी.सी. के अंतर्गत इस न्यायालय में दिनांक 21.03.2022 को दायर किया गया, जिसमें प्रार्थी ने यह निवेदन किया कि दिनांक 21.02.2022 को पारित आदेश, जिसके तहत वाद संख्या 199/2016 (पूर्व संख्या 38/2008) अख्तर बानो आदि बनाम भगवानाराम आदि को अबेटमेंट एवं वादी की अनुपस्थिति के आधार पर खारिज कर दिया गया, वह आदेश कानूनन अपास्त योग्य है एवं मूल वाद को पुनः वाजिब नम्बर पर बहाल किया जाए।

प्रार्थी ने दावा खारिज होने के कारणों में अपने गंभीर टी.बी. रोग से ग्रसित होने, दूरदराज़ ढाणी में निवास, अधिवक्ता श्री भीमसिंह शेखावत के कोरोना काल में निधन, तथा डाक द्वारा नोटिस प्राप्त न होने जैसी परिस्थितियों का उल्लेख किया है। प्रार्थी का यह भी तर्क रहा कि वादिनी अख्तर बानो की मृत्यु के बावजूद उनके वैध वारिसान (जिनमें प्रार्थी भी सम्मिलित है) वाद में पहले से रिकॉर्ड पर हैं, अतः दावा कानूनन अबेट नहीं हो सकता।

अप्रार्थीगण द्वारा दायर जवाब [illegible] किया गया एवं यह दलील दी गई कि वादीगण की मृत्यु की सूचना समय [illegible] य को दी गई थी, तथा मृतक वादीगण के विधिक वारिसों को यथोचि[illegible] जिससे दावा अबेट हो गया। अप्रार्थीगण ने यह भी तर्क प्रस्[illegible] डाक से सूचना भेजी गई थी जो डिलीवर हो चुकी थी, अतः वह आदेश विधि सम्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय के रिकार्ड पर उपलब्ध डिलीवरी रिपोर्ट [illegible]ुसार प्रार्थी बाबू खां को समन दिनांक 18.02.2022 को डिलीवर हो चुका है, जो कि दिनांक 10.02.2022 को जारी किया गया था। इस संदर्भ में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि उसे समन प्राप्त नहीं हुआ, स्वीकार्य नहीं प्रतीत होता

क्योंकि पोस्ट ऑफिस की प्रक्रिया के अंतर्गत तामील विधिसम्मत रूप से हुई मानी जाती है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तामील में साजिश संबंधी आरोप साक्ष्यहीन हैं।

वादीगण अख्तर बानो व अन्य की मृत्यु की सूचना प्रतिवादीगण द्वारा समय रहते न्यायालय को दी गई थी। यद्यपि यह तथ्य सत्य है कि कुछ वारिस वाद में रिकॉर्ड पर थे, तथापि जब मुख्य वादी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके वारिसों को यथोचित रूप से पक्षकार बनाना आवश्यक होता है। केवल गौण प्रतिवादी होने से कोई व्यक्ति स्वतः वादी नहीं बन जाता। अतः यह दलील कि वारिस रिकॉर्ड पर होने के कारण दावा अबेट नहीं हो सकता, विधिसम्मत नहीं है।

प्रार्थी का यह तर्क कि वह टी.बी. से पीड़ित था एवं अधिवक्ता की मृत्यु की जानकारी देर से हुई, मानवीय दृष्टिकोण से सहानुभूतिपूर्ण है। किंतु कानूनन पक्षकार को अपने मुकदमे की निगरानी करने की जिम्मेदारी होती है, और लंबे समय तक अनुपस्थिति तथा मृतक अधिवक्ता की जगह नया अधिवक्ता नियुक्त न करना लापरवाही मानी जाती है।

आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि कोई मुकदमा वादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया हो, तो उसे पुनः बहाल किया जा सकता है, बशर्ते वादी यह साबित करे कि उसकी अनुपस्थिति वैध कारणों पर आधारित थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कारण पूरी तरह से इस स्तर की चूक को न्यायोचित नहीं ठहराते।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, वे विधिक रूप से दावा पुनः बहाल करने हेतु पर्याप्त नहीं पाए गए। तामील विधिसम्मत पाई गई है, तथा अधिवक्ता की मृत्यु, बीमारी व अन्य कारणों को उचित समय पर न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:33 IST
Reason: SelfAttested